समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल जबलपुर

अपील क्रं. ..../2016 (26)

A-1344-I-16

श्रीमति शांति दहायत
पत्नि स्व. श्री गणेश दहायत
उम्र – 77 वर्ष
निवासी माढ़ोताल, आई.टी.आई. के पास,
जबलपुर (म.प्र.) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र.शासन
द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर
जिला जबलपुर (म.प्र.) .... उत्तरार्थी

श्री परिमल ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
20 APR 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अपील

(अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व सहिंता 1956)

माननीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 880/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिंनाक 31–03–2016 के विरूद्ध अपील।

अपीलार्थी निम्न लिखित कथन करती हैं :–

1. यह कि अपीलार्थी के पूर्वज ग्राम माढ़ोताल नं.बं. 660, प.ह.नं. 25/31 ख.न. 50 रकबा 1.445 हैक्टेयर भूमि पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से शांतिपूर्ण मालिक काबिज हैं।

2. यह कि अपीलार्थी के पूर्वज स्व. श्री मंगालिया वर्ष 1909–10 में तथा उससे पूर्व से अंग्रेजी शासन के माफी खिदमती कोटवार थे और उन्हें उपरोक्त सम्पत्ति अंग्रेजी शासन द्वारा उनके किये गये कार्यों एवं सेवा के बदले प्रदान की गई थी और स्व. श्री मंगलिया का नाम उक्त कृषि भूमि पर माफी खिदमती के रूप में दर्ज किया गया था।

3. यह कि, स्व. मंगलिया के मृत्यु के उपरान्त वर्ष 1954–55 से 1971–72 तक उपरोक्त वर्णित भूमि पर उनके पोते रतिराम दहायत का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गणेश प्रसाद का नाम ग्राम नौकर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया और इस प्रकार अपीलार्थी के

NOTARY
Name- Ramdas Sharma
Area Jabalpur
Distt. MP
Reg.-8.4.94
GOVT. OF M.P. INDIA
... APR 2016

शांति दहायत विरूद्ध शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक ~~निग~~0 A/1344 —एक / 16 जिला — जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02—5—16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष वर्ष 2014 में में संहिता की धारा 57(2) के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि उक्त धारा के तहत विवाद उद्भूत हो तो ऐसा विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा । संहिता में दिनांक 31—12—2011 को हुए संशोधन के अनुसार 57(2) के तहत विवाद सुनने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी के स्थान पर राज्य शासन को है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामत: यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	